राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी. बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1119/2022

श्रीमती दुर्गा देवी मैरदा पत्नी स्वर्गीय श्री बसंत, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट ढलकिया, तहसील और जिला बांसवाड़ा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधान सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. मुख्य अभियंता प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, सर्कल उदयपुर।
5. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण प्रभाग, उदयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी (गण) के लिए : श्री रामदेव पोटालिया।

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री पंकज शर्मा, एएजी श्री ऋषि सोनी और श्री दीपक चंडक के साथ

माननीय डॉ. न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

02/01/2024

डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे:

1. इस विशेष अपील के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 624/2018 (श्रीमती दुर्गा देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28.09.2022 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई।

2. मामले की घटनापूर्ण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, यह अपरिहार्य और आवश्यक है कि दिए गए तथ्यात्मक स्थिति में रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के परिवार द्वारा सामना की जा रही प्रश्नगत मुद्दे के आसपास की परिस्थितियों का जटिल और प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत किया जाए।

3. मृत्यु प्रत्येक मानव जीवन की एक अपरिहार्य परिस्थिति है, जो एक निश्चित समय पर प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-चिंगारी को बुझा देती है, और इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से, इसे "सर्वशक्तिमान की अंतिम इच्छा" कहा जाता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु असामयिक होती

है, अर्थात किसी विशेष स्थिति में, जब केवल एक व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार के लिए कमाता है और वही मर जाता है, जिससे उसके आश्रितों के लिए जीवित रहना काफी मुश्किल हो जाता है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के परिवार के लिए, और विशेष रूप से निम्न वर्ग के लिए।

4. जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष रूप से, जब तक कोई व्यक्ति अपनी खुद की कमाई शुरू करता है और इसी तरह की स्थिति में, उसके परिवार में एक कमाने वाला सदस्य होता है, चाहे वह पिता हो या माता, या दोनों, और इस तरह, सभी जरूरतों और मांगों को - चाहे बुनियादी हो या विलासिता- सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करना, लेकिन परिवार में ऐसा कोई कमाने वाला सदस्य न होने के परिणाम किसी की कल्पना से परे नहीं हैं।

5. हालाँकि यह एक स्वीकृत और अपरिहार्य तथ्य है कि मृत्यु एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, लेकिन यह एक आघात है जिसे किसी व्यक्ति (जिसकी मृत्यु हो गई) के आश्रितों के रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है, विशेष रूप से, अपने आश्रितों के लिए पर्याप्त संपत्ति और आय का स्रोत नहीं छोड़ते हैं, कम से कम, परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण हुए अचानक वित्तीय संकट से निपटने के लिए शोक में परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए।

6. वर्तमान समय में, जब जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है, हमें यह याद रखना चाहिए कि यद्यपि अनुकंपा नियुक्ति कोई वंशानुगत/निहित अधिकार नहीं है, लेकिन उचित और आवश्यक परिस्थितियों में, एक मृत सरकारी कर्मचारी (जिसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई) के किसी भी योग्य आश्रितों के लिए अनुकंपा से नियुक्ति केवल राज्य की ओर से एक

अनुग्रह नहीं है, बल्कि यह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु/असामयिक मृत्यु के कारण पूरे परिवार के सामने आ रही वित्तीय कठिनाई को पूरा करने का एक साधन है।

7. आधुनिक समय में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और अपरिहार्य घटना से निपटने के लिए और उन परिवारों को आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए, जिनके एकमात्र कमाने वाले की मौत हो जाती है, देश भर की राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य में, उक्त उद्देश्य के लिए इस प्रकार घोषित नियमों को 'मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996' (इसके बाद '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाता है। उक्त नियमों के नियम 2 (सी) को मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

8. अब मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है, श्रीमती गवरी देवी प्रतिवादी-विभाग में चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थीं और उनके दो बेटे शंकर और बसंत थे। वर्तमान अपीलकर्ता का विवाह श्रीमती गवरी देवी के एक पुत्र अर्थात बसंत के साथ हुआ। यह त्रासदी परिवार पर टूट पड़ी और श्रीमती गवरी देवी के बड़े बेटे शंकर की 17.11.2006 को मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता के पति बसंत की भी 26.08.2007 पर मृत्यु हो गई।

8.1 श्रीमती गवरी देवी के दोनों पुत्रों के निधन के बाद पूरे परिवार की निर्भरता अकेले श्रीमती गवरी देवी पर आ गई, लेकिन प्रकृति का नियम सदैव कायम रहने के कारण त्रासदी नहीं रुकी और श्रीमती गवरी देवी का भी 07.02.2013 को निधन हो गया।

8.2. अपीलकर्ता (स्वर्गीय श्रीमती गवारी देवी की विधवा बहू) ने अपनी सास, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए उत्तरदाताओं के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों और शपथ पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया, और अपीलकर्ता उस पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होने के कारण 1996 के नियमों के प्रावधानों को लागू किया।

8.3. प्रतिवादी अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण संभाग, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.03.2013 द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया कि वह मृत सरकारी कर्मचारी (श्रीमती गवारी देवी) की बहू होने के नाते 1996 के नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, जो रिट याचिका का अनुबंध-6 था और विवाद की जड़ बन गया, जिससे कार्रवाई का वर्तमान कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को 10.07.2013 पर उसके आवेदन में कमियों के बारे में सूचित किया।

8.4. अपीलकर्ता ने उपरोक्त दिनांकित 10.07.2013 पत्र के अनुसरण में आवश्यक सुधार किया और प्रतिवादी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के लिए फिर से दावा प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता द्वारा इस तरह के दावे के अनुसरण में, प्रतिवादी-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग

ने फिर से प्रतिवादी-अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, सर्कल उदयपुर को 12.03.2014 पर एक पत्र लिखा जिसमें उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता 1996 के अधिनियम के नियम 2 (सी) के तहत मृत सरकारी कर्मचारी श्रीमती के आश्रित के रूप में शामिल नहीं था। अपीलकर्ता के रूप में गवरी देवी एक पुत्रवधू थीं न कि पुत्र या अन्य आश्रित जो अधिनियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के हकदार थे। इस तरह के निर्णय को प्रतिवादी-अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियंता विभाग, सर्कल उदयपुर द्वारा दिनांकित 21.03.2014 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जो रिट याचिका के अनुलग्नक-10 के रूप में अभिवचन का भी हिस्सा है। अपीलकर्ता ने राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्थान के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

8.5. यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता श्रीमती गवरी देवी (सरकारी कर्मचारी) की मृत्यु पर बीमा और अन्य देय राशि प्राप्त करने वालों में से एक था। यह विवाद में नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य एक ही तरंग दैर्ध्य पर थे, जिसने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लिए वर्तमान अपीलकर्ता के मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और यह ऐसा मामला नहीं है जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में कई दावे थे।

8.6. जब अभ्यावेदनों ने वर्तमान अपीलकर्ता के अधिकारों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला, तो वह गरीब नागरिकों के अंतिम वर्ग से संबंधित थी और बहुत सीमित सीमा तक शिक्षित भी थी, उम्मीद में प्रतीक्षा की, लेकिन जब कुछ भी सामने नहीं आया, तो उसने रिट याचिका को

प्राथमिकता दी, जिसके लिए वर्ष 2017 में उसके वकील को आवश्यक निर्देश दिए गए थे और निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ जनवरी, 2018 के पहले सप्ताह में रिट याचिका दायर की गई थीः

"इसलिए, सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि -

(क)- एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, इस याचिका को कृपया लागत के साथ अनुमति दी जाए और प्रतिवादी को कृपया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए और उन्हें उनकी सास गवरी बाई के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए, जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई क्योंकि यह ध्यान में रखे बिना कि याचिकाकर्ता पुत्रवधू है क्योंकि याचिकाकर्ता की श्रेणी उस तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ आश्रित की परिभाषा के भीतर आती है, जो उसे देय हैं।

(बी) - एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, इस याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाए और प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 (अनुलग्नक 06) और 21.03.2014 (अनुलग्नक 10) को कृपया रद्द किया जाए।

(सी)- कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

(घ)-याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका की लागत की अनुमति दी जाए"

8.7. राज्य सरकार ने रिट याचिका का जवाब दाखिल किया, जिसमें इस आशय का कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया कि स्वर्गीय श्रीमती गवरी देवी

कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग, ग्रामीण प्रभाग, उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम कर रही थीं और 07.02.2013 पर सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। राज्य के उत्तर में यह भी विवादित नहीं है कि स्वर्गीय श्रीमती गवरी देवी के दो पुत्रों अर्थात बसंत और शंकर की मृत्यु भी क्रमशः 26.08.2007 और 17.11.2006 को हो गई। स्वर्गीय श्रीमती गवरी बाई ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने पोते-पोतियों को अपनी सेवा से प्राप्त होने वाले सभी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए नामित किया था और तदनुसार, उन्हें प्रदान किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी-विभाग ने भी परिवार को प्रभावित करने वाली त्रासदी के क्षणों को परिभाषित करने में गंभीर विचार किया है, लेकिन कोई राहत देने में असमर्थ रहा क्योंकि वे, जैसा कि उत्तर में परिलक्षित होता है, 1996 के नियमों के अनुसार 'आश्रित' शब्द की सख्त परिभाषा के अनुसार भी गए हैं, जिसमें बहू मृतक सरकारी कर्मचारी की आश्रित व्यक्ति नहीं है। 1996 के नियमों के प्रासंगिक नियम 2 (सी), जैसा कि वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था, इस प्रकार हैः

"2(ग) "आश्रित" का अर्थ है-

(i) पति या पत्नी, अथवा

(ii) मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र सहित स्वयं का पुत्र, या

(iii) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी, जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद ली गई बेटी भी शामिल है, या

(iv) विवाहित बेटी, यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं है, या

(v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माँ, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो उसकी मृत्यु के समय पूरी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर था।"

8.7.1. इस प्रकार, केवल रिट याचिका पर राज्य के जवाब का सार यह था कि अपीलकर्ता 'आश्रित' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

8.7.2. यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि उत्तर में एक भी पंक्ति अपीलकर्ता के दावे में किसी भी प्रकार की देरी या किसी अन्य अनियमितता या अवैधता के संबंध में नहीं है, जिसने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया है। पुनरावृत्ति में, राज्य द्वारा लिया गया एकमात्र आधार 'आश्रित' की परिभाषा से संबंधित है जैसा कि 1996 के नियमों (वर्ष 2021 में संशोधित) के उपरोक्त उद्धृत नियम 2 (सी) में निहित है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रामदेव पोटलिया ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.07.2023 के निर्णय के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम सुशीला देवी: डी बी विशेष अपील रिट संख्या 383/2023 के मामले में इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने, उक्त

मामले में दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों की श्रृंखला से निपटते हुए, सुशीला देवी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 521/2011 में इस माननीय न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 19.12.2022 के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत एक विधवा बहू को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की राहत दी गई थी।

9.1. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में माननीय पीठ के साथ-साथ विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों पर ले जाते हुए यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि ऐसी ही परिस्थितियों में, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी के बेटों की भी मृत्यु हो गई है और उसके बाद सास की भी मृत्यु हो गई है, विधवा बहू को उसकी सास (मृत सरकारी कर्मचारी) के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी।

10. दूसरी ओर, श्री पंकज शर्मा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री ऋषि सोनी और श्री दीपक चंडक की सहायता से प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए, सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को नकारने की स्थिति में नहीं होने के बावजूद, वर्तमान मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 03.03.2023 को तय पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 8842-8855/2022, में निर्धारित पूर्ववर्ती कानून पर भरोसा किया।

10.1. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह दलील देते हुए कि अत्यधिक विलंब, जो अनुकंपा नियुक्ति के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त आधार रहा है और ऐसे मामलों में अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी एवं

अन्य (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के पैरा 32 और 35 का हवाला दिया है, जो इस प्रकार है:

"32. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

i. अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, भर्ती की एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रदान करने वाले सामान्य प्रावधानों से विचलन करता है। चूंकि ऐसा प्रावधान उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति करने में सक्षम बनाता है, यह सामान्य प्रावधानों के अपवाद की प्रकृति का है और इसका सहारा केवल उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही लिया जाना चाहिए, अर्थात मृतक के परिवार को अचानक प्रकट हुए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना।

ii. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रित आजीविका के साधनों से वंचित न रहें। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है।

iii. अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है। समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद अनुकंपा रोजगार का दावा या पेशकश नहीं की जा सकती है।

iv. संकटग्रस्त परिवार को मुक्त करने के लिए उस अनुकंपापूर्ण नियुक्ति को तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह के मामले को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है।

v. यह निर्धारित करने में कि परिवार वित्तीय संकट में है या नहीं, सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें परिवार की आय, उसकी देनदारियां, परिवार द्वारा प्राप्त अंतिम लाभ, उम्र, निर्भरता और उसके सदस्यों की वैवाहिक स्थिति, किसी अन्य स्रोत से आय शामिल है।

35. ऊपर उल्लिखित दूसरे प्रश्न पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया, यह कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर कई वर्षों के विलम्ब के बाद विचार किया जा सकता है, हमारा विचार है कि ऐसे मामले में, जहां अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने में आवेदक की ओर से या ऐसे दावे पर निर्णय लेने में प्राधिकारियों की ओर से लंबे समय तक विलम्ब के कारण, तात्कालिकता की भावना कमजोर हो जाती है और समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय से मृतक के परिवार की वित्तीय परिस्थितियाँ बेहतर के लिए बदल गई होंगी। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालयों या अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों को इस तथ्य से निर्देशित होना होगा कि विलंब की इतनी लम्बी अवधि के दौरान, मृतक का परिवार, संभवतः किसी अन्य स्रोत से लाभकारी रोजगार प्राप्त करके, अपना भरण-पोषण करने में सक्षम था। ऐसे मामले में अनुकंपा से नियुक्ति देना,

जैसा कि इस न्यायालय ने हकीम सिंह में उल्लेख किया है, अनुकंपा से नियुक्ति के दावे को उत्तराधिकार के आधार पर विरासत का मामला मानने के बराबर होगा जो संविधान के विपरीत है। चूँकि अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और यह मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय स्थिति और कठिनाई के सापेक्ष है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद से काफी समय बीतने के बाद विचार नहीं किया जा सकता है।"

10.2. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि नियम की सख्त व्याख्या से अपीलकर्ता को मदद नहीं मिलेगी और अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने में अत्यधिक देरी अपीलकर्ता के अधिकारों को कम करने के लिए पर्याप्त है।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

12. इस न्यायालय का मानना है कि मामले का विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस न्यायालय के हस्तक्षेप को इतना आवश्यक बनाता है कि स्वर्गीय श्रीमती गवरी देवी ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने दोनों बेटों बसंत और शंकर को क्रमशः 26.08.2007 और 17.11.2006 पर असामयिक रूप से खो दिया। रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता श्रीमती दुर्गा देवी वास्तव में स्वर्गीय बसंत कुमार की पत्नी और स्वर्गीय श्रीमती गवरी देवी की पुत्रवधू हैं, जिनकी सेवाकाल के दौरान 07.02.2013 को मृत्यु हो गई थी, जिससे परिवार को

आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपने संसाधन जुटाए, जो 1996 के नियमों के तहत मांगी गई थी, जबकि श्रीमती दुर्गा देवी का नाम ऐसे लाभों के प्राप्तकर्ता के रूप में आगे रखा गया था क्योंकि अन्य सभी उत्तराधिकारियों ने विधवा पुत्रवधू (यहां अपीलकर्ता) को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के ऐसे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी।

13. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि पत्र, जो वरिष्ठ अधिकारियों प्रतिवादियों के बीच पत्राचार से संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि राज्य वर्ष 2014 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के दावे पर विचार करता रहा, इस आशय से कि क्या ऐसी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता (विधवा पुत्रवधू) वर्ष 1996 के नियम 2(सी) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।

14. यह न्यायालय यह भी देखता है कि अपीलकर्ता ने एक गरीब व्यक्ति होने के नाते तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर राज्य तक पहुंचने का प्रयास किया और उनके उचित जवाब की प्रतीक्षा की। इस न्यायालय द्वारा यह भी नोट किया गया है कि 2017 तक भी प्रतिवादी द्वारा अन्य मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों का निपटारा किया जा रहा था। वर्ष 2017 में तैयार की गई रिट याचिका जनवरी, 2018 में दायर की गई थी और इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने देरी के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति

के आधार पर इसे खारिज कर दिया था, जो विधवा बहू को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार था।

15. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि माननीय खंडपीठ द्वारा सुशीला देवी के मामले (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय उन्हीं परिस्थितियों में है, जहां सास की मृत्यु हो गई और उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार विधवा बहू परिवार में गरीबी और असामयिक मृत्यु के दुखों का सामना करने वाली एकमात्र व्यक्ति रह गई। यह न्यायालय यह भी मानता है कि सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में फैसला सुनाते समय, इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने श्रीमती पिंकी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9177/2010 इस माननीय न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा 12.09.2011 को निर्णीत) कर्नाटक में ट्रेजरी के निदेशक और अन्य बनाम वी सोम्यश्री (सिविल अपील संख्या 5122/2021 जिसका फैसला 13.09.2021 को हुआ) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल कानून और श्रीमती सपना बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 9686/2020 तारीख 04.12.2020 को निर्णीत में इस माननीय न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर विचार-विमर्श किया है जैसा कि दोनों पक्ष की मांग थी। इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि सुशीला देवी (उपरोक्त) मामले में इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 04.07.2023 को दिए गए निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका संख्या 21240/2023 (राजस्थान राज्य और अन्य बनाम सुशीला देवी) मे अपने

आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा बरकरार रखा है। उक्त आदेश दिनांक 09.10.2023, पूरी तरह से, निम्नानुसार हैः

> "तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका, तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दी जाती है, यदि कोई हो।"

16. यह न्यायालय यह भी मानता है कि 1996 के नियमों के नियम 2 (सी), जो आश्रित को परिभाषित करता है, को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के उद्देश्य से; श्रीमती पिंकी (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले में इस माननीय न्यायालय द्वारा विस्तार से निपटाया गया है। जिसका प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "9. मैगोर और सेंट मेलन्स बनाम न्यूपोर्ट बरो काउंसिल (1952) एच. एल. में लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि "हम यहां संसद के इरादे का पता लगाने और इसे पूरा करने के लिए बैठते हैं और हम इसे विनाशकारी विश्लेषण के लिए खोलने की तुलना में अंतराल को भरकर और अधिनियम की समझ बनाकर बेहतर तरीके से करते हैं।" इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अहरोन बराक ने "उद्देश्यपूर्ण व्याख्या" के सिद्धांत के दायरे पर चर्चा करते हुए बताया कि "किसी अधिनियम या क़ानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को पूरा करने में, इसके व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी

संविधान या क़ानून का व्यक्तिपरक उद्देश्य वह वास्तविक इरादा है जो इसके लेखकों, अर्थात्, क्रमशः संविधान या विधायिका के निर्माताओ, ने संविधान या क़ानून के निर्माण के समय निर्धारित किया था। दूसरी ओर, वस्तुनिष्ठ उद्देश्य यह नहीं है कि लेखक वास्तव में क्या चाहता है, बल्कि यह है कि एक काल्पनिक उचित लेखक ने उस समाज की अंतर्निहित कानूनी प्रणाली, इतिहास और मूल्यों आदि के संदर्भ को देखते हुए क्या इरादा किया होगा, जिसके लिए वह कानून बना रहा है। इस प्रकार इस वस्तुनिष्ठ उद्देश्य की व्याख्या आमतौर पर दिए गए कानूनी पाठ के माध्यम से, कानूनी प्रणाली के मौलिक या मूल मूल्यों की प्राप्ति को शामिल करने के लिए की जाएगी।"

10. फ्रांसिस बेनिओन ने सांविधिक व्याख्या की एक पुस्तक (चौथा संस्करण 2002 पृष्ठ 810) में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया हैः

"एक अधिनियम का एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण वह है जो विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाता हैः (क) अधिनियम के शाब्दिक अर्थ का पालन करते हुए जहां वह अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार है, या (ख) एक तनावपूर्ण अर्थ लागू करते हुए जहां शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार नहीं है।"

11. उपरोक्त सिद्धांत हमारे न्यायशास्त्र से भी अलग नहीं है। जेपी बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एआईआर 2003 एससी 1405) और झारखंड राज्य बनाम गोविंद सिंह और अन्य (जेटी

2004(10) एससी 349) सहित कई निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई एकमात्र चेतावनी यह है कि किसी क़ानून की ऐसी व्याख्या का प्रभाव किसी भी स्थिति में कानून में संशोधन नहीं होनी चाहिए।

12. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि असाधारण मामलों में, कानून में संशोधन के किसी भी प्रभाव के बिना, अदालतें कानून निर्माता के उचित और उद्देश्यपूर्ण इरादे के अनुसार कानून लाने की दृष्टि से और सभी प्रासंगिक वस्तुनिष्ठ शर्तों को देखते हुए "उद्देश्यपूर्ण व्याख्या" के सिद्धांत को अपना सकती हैं।

13. अब 1996 के नियमों पर आते हैं, जिसका उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी की अप्रत्याशित मृत्यु के कारण विपरीत/संकट के समय अपने आश्रित को नियुक्त करके राहत प्रदान करना है, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या "विधवा बहू" को शामिल न करना, जैसा कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है, नियमों के उद्देश्य को पूरा करता है या अंततः नियमों के लेखक के इरादे को पूरा करता है। 1996 के नियमों का दायरा, नियम 4 के अनुसार, किसी विशेष पद के लिए कोई अधिकार प्रदान किए बिना अनुकंपा के आधार पर मृतक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति को नियंत्रित करना है। 1996 के नियमों के नियम 5 में नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं और वे हैं:-

"(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मर जाता है तो उसके आश्रितों में से किसी एक को सरकारी सेवा में नियुक्ति के

लिए इस शर्त के साथ विचार किया जा सकता है कि इन नियमों के तहत रोजगार उन मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कम से कम एक बेटा, अविवाहित बेटियां, मृतक सरकारी कर्मचारी का गोद लिया हुआ बेटा/गोद ली हुई अविवाहित बेटी पहले से ही केंद्र/किसी राज्य सरकार या सांविधिक बोर्ड, संगठन/ निगम के तहत नियमित आधार पर कार्यरत है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय केंद्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या आंशिक रूप से नियंत्रित है। बशर्ते कि यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा अपने लिए रोजगार चाहती है।

(2) इन नियमों के तहत नियुक्ति इस शर्त पर की जाएगी कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को ठीक से बनाए रखेगा जो मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे और लिखित रूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह परिवार के अन्य सदस्यों को ठीक से बनाए रखेगा जो मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे। यदि बाद में, किसी भी समय, यह साबित हो जाता है कि ऐसे आश्रित परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनके द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अनुकंपा से नियुक्त व्यक्ति को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करके यह बताने का अवसर प्रदान करने के बाद नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।"

14. इस बिंदु पर, 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) में दी गई "आश्रित" की परिभाषा का संदर्भ सार्थक होगा जो पति/पत्नी, बेटे, अविवाहित बेटी या विधवा बेटी, गोद ली हुई अविवाहित बेटी और गोद ली हुई बेटे को इसके दायरे में लाता है, और नियम 5 (1) के अनुसार 1996 के नियमों के तहत नियुक्ति की स्वीकार्यता उपलब्ध नहीं है, जहां पति/पत्नी या कम से कम एक बेटा, अविवाहित बेटी, मृतक सरकारी कर्मचारी का गोद लिया हुआ बेटा/गोद ली हुई अविवाहित बेटी पहले से ही केंद्र/किसी अन्य राज्य या सांविधिक बोर्ड, संगठन/निगम के तहत नियमित आधार पर कार्यरत है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय केंद्र या किसी अन्य राज्य सरकार के स्वामित्व या आंशिक रूप से नियंत्रित है।

15. यहां यह ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है कि 1996 के नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) में एक विधवा बेटी का उल्लेख नहीं है जो अन्यथा नियम 2 (सी) के अनुसार आश्रित है। इस बहिष्करण का महत्व है। यदि कानून बनाने वाले प्राधिकरण को किसी भी आश्रित के सरल रोजगार पर नियुक्ति के लिए अस्वीकार्यता प्रदान करनी थी, तो "विधवा बेटी" को नियम 5 (1) में भी संदर्भित किया जाना चाहिए था, लेकिन यह जानबूझकर नहीं किया गया है। नियम 5 (1) में "विधवा बेटी" का अपवर्जन केवल इस दृष्टिकोण से किया गया है कि ऐसी बेटी से अपने ससुराल वालों और अपने बच्चों की सेवा और समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए, भले ही वह नियम 5 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संस्थानों में कुछ रोजगार कर रही हो, अन्य आश्रितों

को अनुकंपा नियुक्तियों के लिए स्वीकार्यता होगी। नियम 5 (1) में "विधवा बेटी" का काफी स्पष्ट शब्दों में बहिष्कार दर्शाता है कि नियमों के लेखक को इस तथ्य के बारे में पता था कि एक "बहू", जो एक "विधवा बेटी" भी होती है, को अपने ससुराल, अपने बच्चों और अपने माता-पिता के परिवार की सेवा करनी चाहिए।

16. अब सवाल यह उठता है कि यदि कानून बनाने वाला प्राधिकारी "विधवा बहू" की स्थिति के बारे में जानता था, तो 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत आश्रितों की श्रेणी में उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रखा गया? इस गाँठ को हल करने के लिए, आश्रितों की परिभाषा में स्पष्ट रूप से संदर्भित संबंधों पर एक नज़र रखना वांछनीय है। जीवनसाथी, बेटे, गोद लिए हुए बेटे, अविवाहित या गोद ली हुई अविवाहित बेटी के संबंधों में किसी भी तरह से "विधवा बहू" का संबंध शामिल नहीं हो सकता है, हालाँकि, "विधवा बेटी" शब्द काफी व्यापक प्रतीत होता है और इन नियमों के उद्देश्य से इसमें "विधवा बहू" शामिल हो सकती है।

17. यदि नियम निर्माता "विधवा बहू" को आश्रितों की श्रेणी से बाहर करने का इरादा रखते थे, तो वे आश्रितों की श्रेणी में "विधवा बेटी" को शामिल करते, जिनका रोजगार 1996 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अस्वीकार्य बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अर्थात्, एक "विधवा बेटी" भी एक "विधवा बहू" होती है, जिसे अपने ससुराल वालों और बच्चों की

सेवा करनी होती है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि "विधवा बहू" को "विधवा बेटी" का हिस्सा कहते हैं।"

17. इस न्यायालय ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी (उपरोक्त) के मामले में, दस साल की देरी हुई थी, और इसके अलावा, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिपत्र/योजना के लागू होने के संबंध में माननीय न्यायालय को संतुष्ट करने में असमर्थ थे; हालाँकि, एक स्पष्ट अंतर के रूप में, यह न्यायालय 1996 के वैधानिक नियमों के साथ काम कर रहा है, और नियम स्वयं औपचारिक रूप से संकटग्रस्त परिवारों के लिए हैं और सरकारी सेवा में रहते हुए असामयिक रूप से समाप्त हुए लोगों के परिवारों पर एक सुरक्षात्मक परत निर्धारित करने के उद्देश्य से एक व्यापक आयाम है।

18. इस न्यायालय की राय है कि श्रीमती पिंकी (उपरोक्त) के मामले में दिया गया फैसला एकल पीठ द्वारा पारित परिस्थितियों में कानून की नजर में सही था, और हालांकि इसे माननीय न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा डीबी सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1915/2011 (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती पिंकी) में दिनांक 05.01.2012 के फैसले के तहत उद्देश्यपूर्ण व्याख्या हेतु मामले के तथ्यात्मक मापदंडों के साथ-साथ कानूनी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुये बरकरार रखा गया था, लेकिन यह सवाल कि क्या विधवा बहू 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) में निहित 'आश्रित' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगी, उक्त प्रश्न के अंतिम उत्तर पर पहुंचने के लिए भविष्य में अलग से उचित मामले में निर्णय के लिए निलंबित छोड़ दिया गया था।

19. इस न्यायालय की राय में, अपीलकर्ता, जो एक विधवा बहू है, के मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति के दावे का समर्थन इस माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में किया है, और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से बरकरार रखा गया था। इस प्रकार, यह न्यायालय इसमें शामिल कानून के प्रश्न पर निर्णय लेना उचित समझता है, इस प्रश्न को इस माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा श्रीमती पिंकी (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय के लिए विचाराधीन रखा गया था।

20. 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) में (वर्ष 2021 में संशोधित) 'आश्रित' शब्द, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर, उन परिस्थितियों में विधवा बहू को शामिल करना चाहिए जहां विधवा बेटी और अविवाहित बेटी को एक परिणाम के रूप में शामिल किया गया है, जिसका पालन भारतीय समाज की स्थापना में किया जाना है, जहां विधवा बहू को कभी-कभी बेटे और बेटी के समान भूमिका निभानी होती है, विशेष रूप से जब वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में जहां गरीबी और अभाव के दुखों से परिवार की रक्षा करने के लिए कोई बेटी और कोई बेटा नहीं है।

21. इस न्यायालय का यह भी विचार है कि विलंब के मानदंड वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देवब्रत तिवारी और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में जहां 10 वर्षों की देरी हुई थी और न्यायालय परिपत्रों और योजनाओं पर विचार कर रहे थे, जिनका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ा था; जबकि वर्तमान मामले में, न केवल एक वैधानिक संरक्षण है जो अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध है, बल्कि वर्ष 2013 में

मृत्यु का परिणाम भी उत्तरदाताओं के साथ वर्ष 2014 तक जारी है और इतना है कि जो असामयिक मृत्यु लाभ पहले ही अर्जित किए जा चुके थे, उनसे उत्तरदाताओं द्वारा वर्ष 2017 तक निपटा जा रहा था, और अपीलकर्ता इस तरह का अभ्यावेदन देने के बाद और कोई रास्ता नहीं पाते हुए, उन्होंने वर्ष 2018 की शुरुआत में प्रतिवादी याचिका को प्राथमिकता देते हुए इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार, यह कोई देरी नहीं है जो विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की अयोग्यता को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों में, जहां पूरा परिवार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, स्वर्गीय श्रीमती गवरी देवी पर निर्भर था, यह एक समय अवधि नहीं है जो उन्हें संकट से उबरने में सक्षम बनाने के लिए बीत चुकी है; यह केवल तीन साल की मध्यवर्ती अवधि थी जब अपीलकर्ता ने इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में एक परिवार के लिए ऐसा समय पर्याप्त नहीं है जहां दो छोटे बेटों की असामयिक मृत्यु हो गई और सास की मृत्यु हो गई, इस तरह के लगातार शोक के संकट से उबरने के लिए।

22. यह न्यायालय यह भी देखता है कि इस माननीय न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए श्रीमती पिंकी (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में निर्धारित न्यायशास्त्र ने विधायी इरादे के प्रभाव का आकलन करने के लिए काफी प्रयास किया है जो कानूनों के पीछे हैं और एक बार जब किसी विशेष कानून में आश्रितों को परिभाषित कर दिया गया है और इसमें विधवा बेटी और विधवा बहू को शामिल किया गया है, जो इस देश के प्रचलित सामाजिक ताने-बाने के उसी ढांचे में एक ही परिवार का हिस्सा है, तो यह आवश्यक है कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को बनाए रखा जाए और परिवार

को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इसे मजबूत किया जाए, जिसमें से एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और इस प्रकार, कोई कारण नहीं हो सकता है कि ऐसी व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती है या दी गई परिस्थितियों में इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

23. उपरोक्त पूर्ववर्ती कानूनों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के संबंध में, इस न्यायालय का मानना है कि हमारे जैसे आधुनिक लेकिन पारंपरिक समाज में, किसी विशेष शब्द (वर्तमान मामले में 'आश्रित') को दिए गए अर्थ के लिए विधायी इरादे के प्रति अति-तकनीकी दृष्टिकोण रखना अनुचित होगा, जिसका उपयोग उस समय किया गया था जब 1996 के नियमों के जैसे नियम लागू किए गए थे। एक आधुनिक विधायिका के लिए समाज को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक समावेशी अर्थ के बारे में जागरूक होना चाहिए जो एक विशेष अवधारणा या एक विशेष शब्द समय के साथ आकर्षित कर सकता है और सामाजिक, आर्थिक और मानव जीवन के अन्य पहलुओं में लाए गए प्रगतिशील परिवर्तनों के साथ मेल खा सकता है। उद्देश्यपूर्ण रूप से यह निर्धारित करने में कि दी गई तथ्यात्मक स्थिति में कौन 'आश्रित' है, 1996 के नियमों में इस तरह की अभिव्यक्ति के संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन का उद्देश्य भी।

23.1. इस प्रकार, वर्तमान न्यायनिर्णायक प्रयास में, यह अकल्पनीय नहीं है कि "आश्रित" अभिव्यक्ति में, एक दिए गए संदर्भ में, एक "विधवा बहू" भी शामिल हो सकती है, विशेष रूप से, जब एक शब्द, जिसे 1996 के नियमों

की तरह किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, को उसके व्यावहारिक अर्थों में समझना होगा, उस परिस्थिति के संदर्भ में जिसमें यह होता है, यानी उस अर्थ में जिसमें लोग उस विषय वस्तु से परिचित हैं जिसके साथ अधिनियम व्यवहार कर रहा है, ताकि इस तरह के निर्माण/अधिनियम के पीछे विधायिका/नियम बनाने वाले प्राधिकरण के सही इरादे का पता लगाया जा सके। इस प्रकार, किसी विशेष शब्द की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने का कार्य, वास्तव में मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत, न्यायालयों द्वारा प्रशासित एक गतिशील और रचनात्मक कार्य है जो हितधारकों को पूर्ण न्याय देने के उद्देश्य से पहेलियों को अलग करके समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

23.2. यह किसी के ध्यान से नहीं बचना चाहिए कि इस तरह की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की इस प्रक्रिया में, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि एक न्यायालय वैधानिक अधिनियम पर काफी प्रभाव डालता है, क्योंकि ऐसा प्रभाव इतना स्पष्ट, प्रकट और बोधगम्य है कि कभी-कभी, न्यायालयों को एक अधिनियम बनाना माना जाता है, जो एक सही अवलोकन नहीं है, क्योंकि न्यायालयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का कार्य उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत किया गया है और संबंधित व्यक्तियों को उनकी निरंतर दुर्दशा के कारण पूर्ण न्याय प्रदान करना है। न्यायालय कल्याणकारी घोषणा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और इस तरह के अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के कार्य का भी सहारा लेते हैं।

24. इसके अलावा, यह इस माननीय न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा श्रीमती पिंकी (ऊपरोक्त) में दिए गए फैसले में देखा गया है कि, भारतीय

समाज में, बहू को बेटी के रूप में माना जाता है। समाज में बहू, चाहे वह विधवा हो, उसे हमेशा परिवार के एक अभिन्न सदस्य के रूप में माना जाता है और उसके पास सभी सम्मान के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। भारत के बहु नैतिक समाज में, बहू को अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने ससुराल वालों की देखभाल करनी होती है। इस प्रकार, यह न्यायालय उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इस विषय पर की गई न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए यह समझने में विफल रहा है कि जहां तक 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) (वर्ष 2021 में संशोधित) में निहित 'आश्रित' शब्द की परिभाषा का संबंध है, विधवा बहू के साथ परिवार के अन्य प्रथम स्तर के घटकों के खिलाफ भेदभाव या भेद कैसे किया जा सकता है, केवल उसे उसके वैध अधिकार से वंचित करने के लिए, न्यायसंगत और वारंट करने वाली परिस्थितियों में, एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति यानी उसकी सास (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई) से पहले परिवार में शोक के अन्य लगातार उदाहरण होने पर।

25. वर्तमान निर्णय में, यह मुद्दा 'आश्रित' शब्द की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है और क्या इसमें 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत 'विधवा बहू' शामिल है, जिसे इस माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ ने श्रीमती पिंकी (ऊपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए निर्णय के लिए विचाराधीन छोड़ दिया, इस मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस तरह से जवाब दिया जाता है कि उक्त शब्द 'आश्रित' में 'विधवा बेटी' शब्द में 'विधवा बहू' शामिल है, जबकि राज्य की आवश्यकता पर जोर

देते हुए विधवा बहू को नियुक्ति देकर शोक संतप्त परिवार के जीवित बचे लोगों को सांत्वना प्रदान करने की आवश्यकता है, जिनकी दुर्दशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

26. इस प्रकार, न्यायिक रूप से प्रशंसित अभिधारणाएं, जैसा कि पूर्वोक्त पूर्ववर्ती कानूनों से प्राप्त किया जा सकता है, वास्तव में दी गई तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में उसकी सामग्री और विस्तार की सर्वोत्कृष्टता को व्यक्त करती हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर अन्य निर्णयों का उल्लेख करके इस निर्णय का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से, इस माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

27. दिए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स में और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामलों में माननीय पीठ के साथ-साथ विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों और श्रीमती पिंकी (ऊपरोक्त) के मामले में माननीय पीठ के साथ-साथ विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों पर उचित विचार करते हुए, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि 1996 के नियमों में 'आश्रित' की परिभाषा के निर्माण में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधवा बहू को शामिल नहीं करना एक अधूरा प्रस्ताव है।

28. इस न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा है कि परिवार की बेटियों को एक बड़ी भूमिका देने के लिए 1996 के नियमों में 'आश्रितों' की परिभाषा का विस्तार करने के लिए प्रतिवादी द्वारा राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 के

माध्यम से नियमों में संशोधन किया गया है, और इस प्रकार, जब यह परिकल्पना की गई है कि विधायी इरादे में बड़ी परिभाषा को शामिल करके और आश्रितों की परिभाषा का विस्तार करके 'आश्रित' की मूल परिभाषा में 'विवाहित बेटी' को जोड़कर, जो इस निर्णय में पढ़े जा रहे समावेश को और बल देता है और मजबूत करता है।

29. देरी के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। तीन साल की देरी के आधार पर अपीलकर्ता का केवल तकनीकी बहिष्कार अपीलकर्ता के अधिकारों में बाधा नहीं डाल सकता है जो लगातार अर्जित हो रहे थे और निरंतर प्रस्ताव में इसके लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था जिसके तहत वाद हेतुक जीवित रहा क्योंकि 2013 में मृत्यु हुई थी और सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य उपार्जित मुद्दों के लिए संघर्ष वर्ष 2017 तक चलता रहा, जबकि रिट याचिका को ही वर्ष 2018 में प्राथमिकता दी गई थी। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, यह न्यायालय सुशीला देवी (उपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए और प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत मामलों के बीच स्पष्ट अंतर पाते हुए, इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28.09.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए और अलग रखते हुए, वर्तमान विशेष अपील को स्वीकार करता है। तदनुसार, प्रतिवादी को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी को ऐसी अनुकंपा नियुक्ति के सभी लाभ भविष्य में मिलेंगे।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे **(डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे।**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।